नव भारत
1934 से

5 बाढ़ के कहर से कैसे निपटा जाए?

8 भारतीय शेयर बाजार हुआ पस्त

10 शासकीय स्कूल के बच्चों का भविष्य दाव पर

9 श्रीलंका पर शिकंजा, भारत जीत से केवल 6 विकेट दूर

पुलिस बर्बरता की सुप्रीम जांच

जंतर-मंतर लाठीचार्ज मामले के लिए हाईलेवल कमेटी

नई दिल्ली, 18 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि समिति में रिटायर्ड जज, पूर्व डीजीपी, पूर्व सीबीआई निदेशक और अन्य सदस्य शामिल होंगे.

समिति गठित करने के आदेश बुधवार को दिए जाएंगे. कोर्ट ने 20 जुलाई को दिल्ली में हुए संसद मार्च के दौरान की घटनाओं की जांच भी प्रस्तावित समिति को सौंपने की बात कही है. इसके लिए मार्च से जुड़े वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को उपलब्ध कराने होंगे. इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने से जुड़ी शिकायतों और आरोपों की भी जांच होगी.

छात्रों पर दर्ज केसों की भी

जानकारी दो सुनवाई के दौरान बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उन मामलों का विवरण मांगा, जिनमें छात्र प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया है और जिन्हें बंद या रद्द किया जाना है. अदालत के इस रुख से संकेत मिला कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है. सुनवाई में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बिना माफी के मामला रद्द किए जाने का विरोध कर रहे एक वकील से कोर्ट ने कहा कि छात्रों की जिंदगी और उनका भविष्य महत्वपूर्ण है. बेंच ने कहा कि छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत विरोध करने का अधिकार है.

पटना में जंतर मंतर -2, छात्रों का महाधरना

बिहार में छात्र-युवा मुद्दों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. टीआरई-4 के विज्ञापन और एकल परीक्षा की मांग को लेकर मंगलवार को पटना में छात्रों ने महाधरना शुरू किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने 19 अगस्त को पटना में लोकभवन मार्च निकालने की घोषणा की है. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की है, जबकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मार्च में शामिल होने की बात कही है.

2800 गंभीर अपराधी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पुलिस ने 2,800 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की है जिनका पहले गंभीर अपराधों से जुड़ा रिकॉर्ड रहा है और जिन पर 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है. इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों की रिहाई से जुड़े अपने आदेश में 'आपराधिक इतिहास' शब्द की स्थिति स्पष्ट की थी.

मार्च गैरकानूनी था

इधर, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का संसद मार्च गैरकानूनी था, क्योंकि इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेड तोड़ दिए तथा पुलिसकर्मियों से मारपीट की.

पीएम केयर्स के 7,846 करोड़ फिक्स डिपॉजिट

2025 तक लगातार बढ़ा फंड का कोष, वित्त वर्ष में ब्याज से 469 .37 करोड़ मिले

नई दिल्ली, 18 अगस्त. कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में स्थापित पीएम केयर्स फंड की वित्तीय स्थिति से जुड़ी वित्त वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट अब सार्वजनिक हुई है.

आधिकारिक ऑडिट स्टेटमेंट के अनुसार, 31 मार्च 2025 को फंड का कुल क्लोजिंग बैलेंस 8,452.07 करोड़ था. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा गया था. ऑडिट विवरण के मुताबिक 7,846.65 करोड़, यानी कुल कोष का लगभग 93 प्रतिशत, एफडी में जमा था. इसके अलावा सेविंग्स बैंक खातों में 605.41 करोड़ की राशि दर्ज की गई.

रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में फंड को 479.04 करोड़ घरेलू दान प्राप्त हुआ, जबकि विदेशी दान की राशि 92.83 लाख रही. इसी अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट पर 469.37 करोड़ ब्याज मिलने का उल्लेख है. इसके अलावा विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों से 324.66 करोड़ रिफंड प्राप्त होने की जानकारी ऑडिट स्टेटमेंट में दी गई है.

> फंड के कुल कोष में वृद्धि के मुकाबले वित्त वर्ष 2024-25 में दर्ज खर्च काफी कम रहा. ऑडिट विवरण के मुताबिक इस दौरान कुल 87 .85 लाख का भुगतान हुआ. इसमें 87 .84 लाख पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के लिए जारी किए गए, जबकि 451 बैंक और एसएमएस शुल्क के रूप में दर्ज हैं. ऑडिट रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद फंड में रखी बड़ी राशि, उसके इस्तेमाल और रिपोर्ट जारी होने में हुई देरी को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

चंपत जांच रिपोर्ट से 'चंपत'

चढ़ावा चोरी में राय, मिश्रा को एसआईटी की क्लीनचिट

अयोध्या, 18 अगस्त. राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले में विशेष जांच दल की फाइनल रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है.

यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप से पहले गठित एसआईटी ने तैयार की थी. इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का नाम नहीं है. एसआईटी का गठन 13 जून को ट्रस्ट के

अनुरोध पर राज्य सरकार ने किया था. तीन सदस्यीय टीम की अध्यक्षता लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने की थी. इसमें आईजी लखनऊ किरण एस. और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार सदस्य थे.

अब मिशन के तहत मां नर्मदा को बनाएंगे निर्मल, अविरल

100 करोड़ का अनुदान देगी सरकार प्रतिवर्ष

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 अगस्त. प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है. कैबिनेट ने मंगलवार को नमन मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है. इस मिशन के तहत सरकार प्रतिवर्ष मां नर्मदा पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी.

निर्णय के तहत मिशन एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करेगा. जिसका प्रशासनिक ढांचा त्रि-स्तरीय रखा गया है. सर्वोच्च साधारण सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष तथा 19 सहभागी विभागों के मंत्रीगण सदस्य होंगे. इसके अलावा साधारण सभा में नदी विज्ञान, जल विज्ञान, पर्यावरण, जैव विविधता और सामुदायिक प्रबंधन क्षेत्र के अधिकतम 10 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी नामांकित किए जाएंगे. वहीं, मिशन की प्रशासनिक कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ कार्यकारिणी के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. मिशन निधि के तहत राज्य अनुदान से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, वन विभाग की कैम्पा फंड से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा.

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

- सड़क विकास निगम के लिए स्वीकृत 288 पदों के अलावा 35 नवीन पदों की मंजूरी
- लाड़ली बहना योजना सहित 1 .46 लाख करोड़ की योजनाएं जारी रहेंगी
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 11 हजार 835 .35 करोड़ रुपए की स्वीकृति
- वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने पर 734 करोड़ रुपए खर्च होंगे

एक नजर में

टाटा संस की एजीएम पहली बार टली

मुंबई. टाटा संस की 18 अगस्त 2026 को प्रस्तावित वार्षिक आम बैठक स्थगित होने से कंपनी के कई महत्वपूर्ण फैसले फिलहाल लंबित हो गए हैं. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, बैठक के लिए जरूरी कोरम पूरा नहीं हो सका, क्योंकि सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की ओर से संयुक्त प्रतिनिधि तय नहीं हो पाया था.

कटरा रेलवे ट्रिप शेड का होगा विस्तार

जम्मू. श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए ट्रिप शेड विस्तार परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल की इस परियोजना का उद्देश्य लोकोमोटिव के रखरखाव और तकनीकी जांच की क्षमता बढ़ाना है.

पैकेट पर सामने दिखेगी खाने की पूरी सच्चाई

नई दिल्ली. चिप्स, नमकीन, बिस्किट, रेडी-टू-ईट और दूसरे पैकेटबंद खाद्य पदार्थ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से फ्रंट-ऑफ-पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग की व्यवस्था पर विचार करने को कहा है. ताकि उपभोक्ताओं को वस्तु की जानकारी आसानी से मिले.

ट्रक से भिड़ी पिकअप, 8 मरे, 22 घायल

भिंड में दर्दनाक हादसा, आधी रात को मची चीख पुकार

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 18 अगस्त. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से ग्वालियर के चीनोर गांव में धान रोपाई का काम करने आए मजदूरों की मेहनत की कमाई घर तक नहीं पहुंच पाई.

भिंड जिले के छीमका गांव के पास दरमियानी रात हुए भीषण सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी मजदूर पिछले तीन साल से हर सीजन में चीनीर में धान रोपाई के लिए

आते थे.

जानकारी के अनुसार, हादसा रात करीब 12.30 बजे हुआ. काम खत्म होने के बाद सभी मजदूर एक पिकअप वाहन में सवार होकर वापस लौट रहे थे. तभी छीमका गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. बताया जा रहा है कि पिकअप में क्षमता से अधिक मजदूर भरे हुए थे और ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया. हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और मजदूर सड़क पर इधर-उधर गिर गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. घायलों को तत्काल ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल भेजा गया. मृतकों में अखिलेश कुमार सहित अन्य मजदूर शामिल हैं.

अस्पताल में अव्यवस्था, जमीन पर तड़पते रहे घायल

हादसे के बाद अस्पताल में जो मंजर दिखा उसने सिस्टम की लापरवाही उजागर कर दी. ट्रॉमा सेंटर में बेड कम पड़ गए तो कई घायलों को जमीन पर ही लिटा दिया गया. कोई जमीन पर कराह रहा था तो कोई दीवार के सहारे बैठकर दर्द से जूझता रहा. परिजनों का आरोप है कि हादसे की खबर के कई घंटे बाद भी कोई सीनियर डॉक्टर मौके पर नहीं आया. जूनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के भरोसे ही पूरा ट्रॉमा सेंटर चलता रहा. घायलों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि ग्वालियर में अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में बेड तक नहीं मिला. घायलों को लेटने के लिए स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुए.

शाह के करीबी तावड़े को यूपी का जिम्मा

पुनिया पंजाब, चुग को गुजरात सौंपा

उत्तर प्रदेश, 18 अगस्त. भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारियों की घोषणा की. पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है. उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.

उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में तावड़े के सामने संगठन और चुनावी रणनीति को संभालने की अहम जिम्मेदारी होगी. तावड़े को पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ और

चुनावी प्रबंधन के अनुभव के लिए जाना जाता है. वह इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं.

भाजपा ने राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया है. पंजाब में भी अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. पार्टी के लिए राज्य में संगठन को मजबूत करना और चुनावी आधार बढ़ाना महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जा रहा है. गुजरात की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग को दी गई है. गुजरात में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुलह की कोशिश नाकाम

मथुरा. श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में सुलह-समझौते की कोशिशों को मंगलवार को एक और झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा के सुलह केंद्र में प्रस्तावित दूसरी वार्ता मुस्लिम पक्ष की गैरमौजूदगी के कारण आगे नहीं बढ़ सकी. इसके बाद मामले की पत्रावली पर सुनवाई स्थगित कर दी गई. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, मंगलवार को सुलह केंद्र में दोनों पक्षों के बीच दूसरी बैठक निर्धारित थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ.

सागा ग्रुप की 30 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

10 हजार करोड़ के घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की भोपाल-मुंबई में छापेमारी

भोपाल, 18 अगस्त. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सागा ग्रुप से जुड़े 10 हजार करोड़ रुपए के पोंजी घोटाले के मामले में भोपाल और मुंबई में चार दिन तक तलाशी अभियान चलाया.

एजेंसी ने 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां फ्रीज की हैं. नौ महंगी गाड़ियां भी कार्रवाई के दायरे में आई हैं. तलाशी के दौरान 1.53 करोड़ रुपये नकद, करीब 35 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा व 5.25 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के जेवरात और चांदी की सिल्लियां भी जब्त की गईं. ईडी ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में दर्ज एफआईआर के

आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. ईडी ने दावा किया कि वर्ष 2009 से सागा ग्रुप ने निवेशकों को ऊंचे और सुनिश्चित रिटर्न का लालच दिया. कुछ निवेशकों को शुरुआती भुगतान भी किया गया, लेकिन बाद में बड़ी रकम ग्रुप के संचालकों और सहयोगियों द्वारा निकाल ली गई.

मुरैना के टैंटरा गांव का रहने वाला ठग

समीर अग्रवाल मुरैना के टैंटरा गांव का रहने वाला है, अभी दुबई में छिपा है. उसकी गिरफ्तारी पर एमपी और यूपी पुलिस ने इनाम घोषित कर रखी है. सीबीआई ने भी उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. समीर के पिता राजेंद्र अग्रवाल करीब 50 साल पहले इंदौर, फिर भुसावल और अंततः मुंबई में जाकर बस गए थे.

जनविश्वास के 9 दशक | नवभारत की विकास यात्रा : पत्रकारिता, जनसेवा और सामाजिक दायित्व की अमर विरासत

निष्पक्ष पत्रकारिता-निस्वार्थ जनसेवा/ सिर्फ समाचार नहीं, सामाजिक क्रांति भी

संजीव शर्मा

भोपाल, 18 अगस्त. नवभारत की यात्रा केवल एक समाचार पत्र के विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि यह जनसरोकारों, सामाजिक जिम्मेदारी और जनसेवा की उस परंपरा की कहानी है, जिसने बदलते समय के साथ पत्रकारिता के स्वरूप को नई दिशा दी. मध्यप्रदेश में इस यात्रा को व्यापक आधार देने वाले प्रमुख शिल्पकारों में श्री प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है.

पत्रकारिता से आगे बढ़कर सार्वजनिक जीवन, सामाजिक सेवा और उद्योग-व्यापार के क्षेत्र में उनके योगदान ने नवभारत की

कार्यसंस्कृति और सामाजिक दृष्टिकोण को भी समृद्ध किया.

सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. संसद सदस्य के रूप में उन्होंने जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभाते हुए जनसेवा को प्राथमिकता दी. वहीं रोटरी के माध्यम से सामाजिक सेवा तथा उद्योग-व्यापार के क्षेत्र में भी उनका योगदान व्यापक रहा. समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किए गए इन कार्यों ने उनके व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष को मजबूत किया.

पत्रकारिता के माध्यम से भी उन्होंने जनसाधारण की आवाज को मंच देने और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की परंपरा को आगे बढ़ाया. इस दृष्टि से नवभारत के लिए पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि जनता की समस्याओं, अपेक्षाओं और सरोकारों को सामने लाने तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का माध्यम बनी. यही दृष्टिकोण नवभारत की विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण विशेषता रहा है.

समय बदला, माध्यम बदले और तकनीक बदली, लेकिन जनता की आवाज बनने और समाज के सरोकारों को सामने लाने का मूल उद्देश्य निरंतर कायम रहा. नवभारत का यह सफर उसी पत्रकारिता परंपरा का विस्तार है, जिसमें समाचार केवल सूचना नहीं, बल्कि जनविश्वास, जनसंवाद और जनसेवा का माध्यम बनता है.

इसी सामाजिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए उनकी स्मृति को जीवंत रखते हुए श्री रामगोपाल जी माहेश्वरी स्मृति शिक्षा केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना है. वहीं श्री प्रफुल्ल माहेश्वरी चेरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सेवा कार्य निरंतर किए जा रहे हैं.

> इस तरह नवभारत की विकास यात्रा को केवल समाचार पत्र के विस्तार के रूप में देखना उसके व्यापक सामाजिक सरोकारों को सीमित कर देना होगा. पत्रकारिता, जनसेवा, सामाजिक दायित्व और शिक्षा-चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए कार्यों ने इस यात्रा को एक व्यापक उद्देश्य प्रदान किया है. पीढ़ियां बदलीं, तकनीक बदली और पत्रकारिता के माध्यम बदले, लेकिन जनता के प्रति जिम्मेदारी और जनविश्वास को सर्वोपरि रखने की भावना कायम रही. यही विरासत नवभारत को उसकी पहचान देती है और यही संकल्प उसकी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा रहा है.

मौत की सजा में फांसी का विकल्प इंजेक्शन नहीं : सुको

नई दिल्ली, 18 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले दोषियों को फांसी देने के बजाय कम पीड़ादायक तरीके अपनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फांसी की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखते हुए कहा कि फिलहाल देश में मौत की सजा देने का तरीका फांसी ही रहेगा.

याचिका में फांसी की जगह घातक इंजेक्शन, गोली मारने, बिजली का झटका देने या गैस चैंबर जैसे विकल्पों पर विचार करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता वकील ऋषि मल्होत्रा ने फांसी को बेहद पीड़ादायक, अमानवीय और क्रूर बताते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी.

सबूत दें तो फिर विचार

अदालत ने अपने फैसले में भविष्य के लिए रास्ता खुला रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा याचिका खारिज किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि भविष्य में इस मुद्दे की संवैधानिक समीक्षा नहीं हो सकती. यदि ठोस वैज्ञानिक, चिकित्सकीय या अनुभवजन्य प्रमाण सामने आते हैं और यह साबित होता है कि मौजूदा व्यवस्था का वैज्ञानिक आधार बाद के घटनाक्रम से बदल गया है, तो इस मुद्दे पर फिर विचार किया जा सकता है.